(प्रपत्र–2)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक,नागौर –राज0

क्रमांक–शिविना / प्रारं / सा–1 / मान्यता–नवीनीकरण / 2012–13 / 7437 दिनांक– 19/11/12

संस्था का नाम– टैगोर इन्टरनेशनल स्कूल, आनंदपुरा

पंचायत समिति– कुचामन

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 क उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 3-01-12 के आवदेन और इस संबध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै टैगोर इन्टरनेशनल स्कूल, आनंदपुरा जिला नागौर को वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए अनंतिम मान्यता (माध्यम हिन्दी)प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. संस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि 30 मार्च 2013 तक आर0टी0ई0के मानदण्ड पूर्ण नही कर पायेगी तो संस्था की मान्यता स्वतःही समाप्त कर दी जायेगी ।
2. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।
3. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 (उपाबधं 2) के उपबंधो का पालन करेगा ।
4. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहिन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्है निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
5. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए,विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।
6. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता / पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा ।
7. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा । विद्यालय **निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–**
   1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निश्काशित नही किया जायेगा।
   2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन से अध्यधीन नही किया जायेगा।

Namadeo
PRINCIPAL
Tagore International School
Anandpura,Kuchaman City

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने की अपेक्षा नही कि जायेगी ।

4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

5. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विधार्थीयों को प्रवेश दिया जाना ।

6. अध्यपको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रांरभ पर न्यूनतम अर्हतताऐं नही है । पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताए अर्जित करेगें ।

7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

8. अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापंन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेगें ।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ठ विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है :–

अ–विद्यालय परिसर का क्षैत्रफल
ब– कुल निर्मित क्षैत्र
स– क्रिड़ा स्थल का क्षैत्रफल
द– कक्षाओं की संख्या
य– प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांड़ागार के लिये कक्ष
र– बालक और बालिकाओ के लिये पृथक शौचालय
ल– पेयजल सुविधा
व– मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई
ह– बाधारहित पहुच
स– अध्यापंन पठन सामग्री / क्रिया खेल–कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जायेगी ।

11. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रिड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है ।

12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकृत नियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधिन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

13. स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यवितयों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है ।

14. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टड अकांउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिऐं और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिऐं तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिऐं प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवायी जानी चाहिऐं ।

15. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्याक 399 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें ।

PRINCIPAL
Tagore International School
Anandpura,Kuchaman City

16. विद्यालय ऐसी रिर्पोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है,जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय अधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है । जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमीयों को दूर करने के लिये जारी किये जायें ।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण,यदि कोई हो,को सुनिशिचित किया जावें ।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्ते ।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक,नागौर
दिनांक–

क्रमाक–सम/2012/
प्रतिलिपिः–
01. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति............................।
02. कार्यालय प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक,नागौर

PRINCIPAL
Tagore International School
Anandpura,Kuchaman City